than Rs. one crore, (ii) Rs. one crore to Rs. five crores, (iii) Rs. five crores and above; and

(c) the advances made to concerns which have been described as monopoly concerns by the Monopoly Commission in their Report during the above period?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

ADVANCES BY STATE BANK OF INDIA

5300. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the State Bank of India lends on second mortgage a sum of more than Rs. 10 lakhs to any concern;

(b) the total number and amount of such advances made during the last three years; and

(c) the practice prevailing in other commercial banks in this regard?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) The State Bank does not accept second mortgage of any immovable property as primary security for its advances.

(b) Nil.

(c) Generally, all commercial banks follow a similar procedure in regard to their advances.

मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें

5301. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण न कराये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जा रही है तथा केन्द्रीय सहायता भी निर्धारित नहीं की जा रही है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण कराने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव): (क) जी, नहीं। उन्हीं वृहत् तथा मध्यम स्कीमों को स्वीकार किया जा रहा है जिनका अनुसंधान अच्छी तरह से कर लिया जाता है और उनके लिये केन्द्रीय सहायता सामान्य क्रियाविधि के अनुसार नियत की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरहानपुर में उत्पादन शुल्क विभाग के कार्यालय की स्थापना

5302. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खंडवा और हरसूद (मध्य प्रदेश) की अपेक्षा बरहानपुर शहर में उत्पादन शुल्क विभाग के मामले अधिक होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरहानपुर के लोगों को इस विभाग से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिये खंडवा जाना पड़ता है क्योंकि बरहानपुर में यह सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हो, तो क्या सरकार का विचार आयकर विभाग की भांति खंडवा के बदले बरहानपुर में उत्पादन शुल्क विभाग का दफ्तर खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। चूंकि बरहानपुर में पहले से ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक रेन्ज कार्यालय है, इसलिए लाइसेन्स दारों को रोजमर्रा के कामों के लिए खण्डवा जाने की आवश्यकता